निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 44/21 दावा
दायरा दिनांक :– 23.07.2021
निर्णय दिनांक :– 20.09.2021

उनवान

1. बलराम पुत्र श्री लक्ष्मण
2. हरिश पुत्र श्री बलराम जाति नाथ निवासी तुलसा तहसील बारां हाल निवासी केशवपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

बनाम

1. नाबालिग आदित्येन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह
2. नाबालिग मानवेन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र नाबालिग जरियेवली पिता श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासीगण कनवाडा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज.
4. सुनिता योगी पत्नी श्री घनश्याम जाति नाथ निवासी बृजनगर तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान।

वाद अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 20.09.2021

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा एडवोकेट – वादी
2 श्री धर्मेन्द्र सिंह एडवोकेट – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वर्तमान खाता संख्या 168 पुराना 168 में वर्णित खसरा नंबर 1554/369 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नंबर 386 रकबा 2.90 हेक्टर, खसरा नंबर 369 रकबा 0.75 हेक्टर, खसरा नंबर 370 रकबा 2.57 हेक्टर, खसरा नंबर 371 रकबा 0.14 हेक्टर; खसरा नंबर 377 रकबा 0.92 हेक्टर, खसरा नंबर 378 रकबा 2.39 हेक्टर, खसरा नंबर 379 रकबा 2.15 हेक्टर, खसरा नंबर 382 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नंबर 383 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.83 हेक्टर, खसरा नंबर 385 रकबा 0.14

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:41 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

हेक्टर, खसरा नंबर 386 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नंबर 389 रकबा 0.71 हेक्टर, खसरा नंबर 390 रकबा 1.10 हेक्टर, खसरा नंबर 393 रकबा 0.09 हेक्टर कुल 16 किता कुल रकबा 15.21 हेक्टर वाके माल ग्राम तुलसां पटवार हल्का तुलसां तहसील बारां जिला बारां राजस्थान मे स्थित है, एवं इसी प्रकार आराजीयात वर्तमान खाता संख्या 80 पुराना 33 मे वर्णित खसरा नंबर 350 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नंबर 351 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नंबर 354 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नंबर 355 रकबा 1.81 हेक्टर, खसरा नंबर 356 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नंबर 357 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नंबर 358 रकबा 0.57 हेक्टर, खसरा नंबर 359 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नंबर 361 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नंबर 366 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नंबर 367 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नंबर 368 रकबा 0.06 हेक्टर कुल 12 किता कुल रकबा 4.05 हेक्टर वाके माल ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का जगन्नाथपुरा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान मे स्थित है, जिसे वाद पत्र मे आगे विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थना पत्र की मद् नंबर 1 मे प्रार्थीगण 1/30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, पारिवारिक बंटवारे मे प्रार्थीगण के पूर्वजो को ग्राम तुलसां मे खसरा नंबर 366 रकबा 2.90 हेक्टर प्राप्त हुयी थी, जिस पर अर्सा करीबन 50–60 वर्षो से पूर्व में प्रार्थीगण के पिता व दादाजी काश्त करते थे, तथा उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है, तथा उक्त आराजीयात को काफी मेहनत करके व पैसा लगाकर प्रार्थीगण ने आराजीयात को कृषि योग्य बनाया था। लेकिन अप्रार्थी क्रमांक 1 ता 4 प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक काबिज काश्त मे दखलनदांजी पैदा करने लगे है व झगडा प्रसाद करने पर आमादा हो रहे है, तथा जबरन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थी क्रमांक 1 ता 4 ने दिनांक 10.07.2021 को खुल्ले आम धमकी दी कि हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नंबर 366 रकबा 2.90 हेक्टर आराजीयात पर लटठ के जोर पर कब्जा करके रहेगे। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी हकूक टिनेसी को खतरा पैदा हो गया है, इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थी क्रमाक 1 ता 3 व 16 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम तुलसां सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 168, नकल जमाबन्दी ग्राम शंकरपुरा सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 80 पेश की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के साथ स्वंय का शपथ- पत्र पेश किया है।

बहंस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि ग्राम तुलसां व ग्राम शंकरपुरा तहसील बारां मे विवादित आराजी स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/30 हिस्सा दर्ज है। पारिवारिक बटवारे मे प्रार्थीगण के पूर्वजो को ग्राम तुलसां के खसरा नंबर 366 रकबा 2.90 हेक्टर भूमि प्राप्त हुयी थी, जिस पर प्रार्थी के पिता व दादा जी का लगभग 50–60 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी [illegible] 4 प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त मे व्यवधान उत्पन्न करने ल[illegible] बेदखल कर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:41 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

करना चाहते है। प्रार्थीगण के हिस्से तक मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जयें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 नाबालिग को पक्षकार बनाया है। कानून में निहित प्रावधान के तहत् कोई प्रार्थना-पत्र पक्षकार बनाये जाने की परमिशन हेतु पेश नही किया है। प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण का उक्त आराजी मे मात्र 1/30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, जिस पर प्रार्थी वर्तमान मे भी काबिज चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की आराजी को मुनाफा काश्त पर जुपाया हुआ है। प्रार्थीगण अपने 1/30 हिस्से 1.00 हेक्टर से ज्यादा भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा ग्राम तुलसां मे खसरा नंबर 366 रकबा 2.90 हेक्टर भूमि पर कब्जा होना गलत बता कर मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थी का उक्त आराजी में 1/30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, जो 1.00 हेक्टर रकबा बनता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम तुलसा सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 168 में प्रार्थी का हिस्सा 1/30 दर्ज है। इसी प्रकार नकल जमाबन्दी ग्राम शंकरपुरा सम्वत् 2071-74 खाता संख्या 80 में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/30 दर्ज है। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजीयात मे प्रार्थीगण का 1/30 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी ग्राम तुलसा व ग्राम शंकरपुरा के अनुसार प्रार्थीगण का विवादित आराजी में हिस्सा 1/30 दर्ज है। जिस पर प्रार्थी का अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगण जबरन बेदखल कर कब्जा प्राप्त करना चाहते है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम तुलसां व शंकरपुरा के अनुसार प्रार्थीगण का 1/30 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला ठोस तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो प्रार्थीगण के पक्ष मे है।
2. सुविधा का संतुलन :- मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजी मे प्रार्थीगण का 1/30 हिस्सा दर्ज है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण विवादित आराजी पारिवारिक बटवारे के आधार पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण पारिवारिक बटवारे के आधार पर विवादित आराजी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष है।
3. अपूर्णनीय क्षति :- विवादित आराजी वाके ग्राम तुलसा एव ग्राम शंकरपुरा मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के आधार पर प्रार्थीगण का 1/30 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। यदि अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय होने से पहले ही विवादित आराजी का अप्रार्थीगण द्वारा बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:41 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम तुलसां के खाता संख्या 168 के कुल खसरा नंबर 16 किता रकबा 15:21 हेक्टर एवं ग्राम शंकरपुरा के खाता संख्या 80 के कुल खसरा नंबर 12 किता रकबा 4.05 हेक्टर भूमि मे प्रार्थी के हिस्सा 1/30 तक अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है, कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। प्रार्थीगण को शान्ति पूर्वक काश्त करने दे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner